एमएसएमई को नहीं लेनी होगी भूगर्भ जल की एनओसी

राब्यू, लखनऊ: भूगर्भ जल निकासी पर लगी रोक से मुश्किल झेल रहे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को सरकार ने राहत दी है। केंद्र की गाइडलाइन को प्रदेश में भी लागू करते हुए भूगर्भ जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से छूट दी जाएगी। यह फैसला राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण की दूसरी बैठक में लिया गया। लोकभवन में मंगलवार को प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आरके तिवारी ने की। इसमें मुद्दा आया कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अधिसूचित क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम की श्रेणी में आने वाले उद्योगों और पहले से संचालित उद्योगों को भूजल निकासी के लिए अनापत्ति जारी करने पर छूट है। वहीं, उप्र भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 में अधिसूचित क्षेत्रों में नई अनापत्ति जारी करने पर प्रतिबंध है।